

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन-2227011, 5188112 फैक्स नं. 2227723)

प.1(6)ग्रा.वि/आरजीएवीपी/2011/3298-103

जयपुर, दिनांक 07.03.2014

10-314

परिपत्र

दिनांक 06.03.2014 को स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेन्ट, दुर्गापुरा, जयपुर में आयोजित जिला परियोजना प्रबन्धकों की समीक्षा बैठक में जिला स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, मानदेय व अन्य भत्तों के भुगतान में विलम्ब के संबंध में राज्य परियोजना इकाई को अवगत कराया गया है।

इस संबंध में वेतन भत्तों, मानदेय व टीए/डीए के भुगतान के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि समस्त कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, मानदेय व टीए/डीए का भुगतान जिला परियोजना इकाई के स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। सृजन इन्फ्राटेक डवलपमेन्ट सर्विसेज द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि जिला परियोजना प्रबन्धक उनके मानदेय व अन्य भत्तों से संबंधित समस्त दस्तावेजात प्रमाणित कर सृजन इन्फ्राटेक डवलपमेन्ट सर्विसेज को भिजवायेंगे तथा सृजन संस्था से इनके संबंध में Invoice को जिला स्तर पर प्राप्त कर इनका भुगतान सृजन संस्था को सीधे ही करवायेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

Sd-

(राजीव सिंह ठाकुर)

IAS

स्टेट मिशन डायरेक्टर

आरजीएवीपी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
2. निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. निजी सहायक, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
4. अध्यक्ष, सृजन इन्फ्राटेक डवलपमेन्ट सर्विसेज नई दिल्ली को भिजवाकर निर्देशानुसार अनुरोध है कि जिला स्तरीय कार्मिकों के मानदेय व भत्तों के Invoice सीधे ही संबंधित जिला परियोजना प्रबन्धक को भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो सके।
5. जिला परियोजना प्रबन्धक समस्त
6. रक्षित पत्रावली

3

परियोजना निदेशक
(LPs & SHGs)